

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 169/13  
 संस्थापन दिनांक:-25/06/13  
 फाईलिंग नं. 23350400092013

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

विनोद पिता मुन्नालाल पवार  
 उम्र 21 वर्ष, निवासी खापाखतेड़ा,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 23.09.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 07.06.2013 के रात 10:00 बजे थाना आमला अंतर्गत फरियादी के घर के सामने आंगन ग्राम खापाखतेड़ा में फरियादी देवाजी पवार पर गरम तेल डालकर उसे गले, छाती, दांहिने हाथ में फफोले होकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2013 को रात करीब 10 बजे फरियादी उसके घर में अपनी पत्नी से खाना मांग रहा था तभी उसके मकान में रहने वाला अभियुक्त विनोद उसे मादरचोद हल्ला क्यों करता है मुझे पढ़ना है कहा जिस पर उसने अभियुक्त से कहा कि अंदर जाकर पढ़ इसी बात पर उसे अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और हाथ से गिलास में गरम तेल लेकर उसके उपर डाल दिया जिससे उसके गले, छाति एवं दांहिने हाथ में फफोले आये। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 129/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक स्टील का गिलास जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय

अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी देवाजी पवार पर गरम तेल डालकर उसे गले, छाती, दाहिने हाथ में फफोले होकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 देवाजी (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना 2-3 साल पुरानी रात 7-8 बजे की उसके घर के सामने की है। घटना के समय वह उसके घर में अपनी पत्नी से खाना मांग रहा था तभी अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी गालियां देकर कहा कि हल्ला क्यों कर रहा है मुझे पढ़ाई करना है। अभियुक्त से उसने कहा कि अंदर जाकर पढ़ाई करो इसी बात पर से अभियुक्त उसके पास आया और उसे धक्का मुक्की करने लगे जिससे वह गिर गया और पास में ही रखी कढ़ाई का तेल उसके गले, छाती एवं दाहिने हाथ में लग गया था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसके उपर तेल नहीं डाला था तथा उसने घटना की रिपोर्ट थाना आमला में की थी जो प्रदर्श प्री-4 है। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-5) तैयार किया था।

7 साक्षी निर्मला (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना उनके घर की छपरी की रात 10 बजे की है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को उसके पति घर आकर सो गये थे और उसी दिन घर में शराब पीकर गालियां भी दे रहे थे। उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह सही होना बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति उसे खाना देने के लिए बोल रहे थे तभी अभियुक्त ने कहा कि चुपचाप रहो और गरम तेल लाकर उनके उपर डाल दिया था। साक्षी यादोराव (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन का किसी बिंदु पर कोई समर्थन नहीं किया है।

8 निर्मला (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति देवाजी शराब पीकर आये थे और गिर गये थे तो उसने

रिपोर्ट कर दी थी। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि वह भ्रम में पड़ गयी थी इसलिए उसने अभियुक्त विनोद द्वारा की गयी घटना के बारे में नहीं बता पायी थी परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही उसने अभियोजन कथा के अनुरूप कोई कथन नहीं किये हैं जिससे इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

9 देवाजी (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में ही यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके ऊपर तेल नहीं डाला था तथा यह भी बताया है कि दोनों के बीच में विवाद हुआ था और धक्का लगने से कढ़ाई का तेल उसके गले और छाती में लग गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से अभियुक्त और फरियादी के बीच में धक्का मुक्की होना प्रकट होता है परंतु अभियुक्त के द्वारा उस पर गरम तेल डालकर उसे उपहति कारित की गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य एवं फरियादी देवाजी के कथनों से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी देवाजी पवार पर गरम तेल डालकर उसे गले, छाती, दाहिने हाथ में फफोले होकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त विनोद को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्तशुदा एक स्टील का गिलास अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)